भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *130

जिसका उत्तर सोमवार, 9 फरवरी, 2026/ 20 माघ, 1947 (शक) को दिया गया

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत व्यापारियों को बंधक मुक्त ऋण

*130. श्री जितेंद्र दोहरे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारियों को 30 लाख रुपये तक का बंधक मुक्त ऋण प्रदान करने और ऋण की सीमा में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बैंकों द्वारा व्यापार संबंधी सीमाओं की स्वीकृति और उनके नवीकरण के लिए वसूल किए जा रहे अत्यधिक शुल्क को सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाने की संभावना है और अधिकतम 1 प्रतिशत का एकबारगी शुल्क निर्धारित किया जाएगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या प्राकृतिक आपदा/आग लगने जैसी घटनाओं से प्रभावित पंजीकृत व्यापारियों को स्टॉक मूल्य के 75 प्रतिशत तक निःशुल्क बीमा कवर प्रदान करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

“प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत व्यापारियों को बंधक मुक्त ऋण” के संबंध में श्री जितेंद्र दोहरे, माननीय संसद सदस्य द्वारा पूछे गए दिनांक 09.02.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *130 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) संपार्श्विक (कॉलेटरल) मुक्त ऋण की सीमा को दिनांक 24.10.2024 से, उन उद्यमियों के लिए एक नई श्रेणी 'तरुण प्लस' के अंतर्गत 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है, जिन्होंने 'तरुण' श्रेणी के तहत पिछले ऋणों का लाभ उठाया है और सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया है।

पीएमएमवाई के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारियों को 30 लाख रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण को और बढ़ाने का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बैंकों द्वारा ऋण का मूल्य निर्धारण जैसे ऋण संबंधी मामलों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अविनियमित कर दिया गया है और ये भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा व्यापक विनियामक दिशा-निर्देशों के अध्यधीन संबंधित बैंक की अपनी ऋण नीतियों द्वारा अभिशासित होते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार, बैंक सभी संभावित उधारकर्ताओं को ऋण संविदा को निष्पादित करने से पहले एक सुविचारित दृष्टिकोण लेने में मदद करने के लिए ऋण की अवधि, पुनर्भुगतान संबंधी ब्यौरा, ब्याज दर, प्रोसेंसिंग संबंधी ब्यौरा और अन्य लागू प्रभार आदि सहित एक प्रमुख तथ्य संबंधी विवरण (केएफएस) प्रदान करेगा। केएफएस उधारकर्ताओं द्वारा समझी जाने वाली भाषा में लिखा जाएगा और इसमें उल्लिखित विषय को उधारकर्ता को भी समझाया जाएगा।

हालांकि, पीएमएमवाई के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं/आग लगने से प्रभावित पंजीकृत व्यापारियों को निशुल्क बीमा प्रदान करने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है, तथापि, इस योजना के अंतर्गत दिए गए ऋणों के लिए, सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं (एमएलआई) सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) के तहत गारंटी कवर प्राप्त कर सकती हैं।

*****